'महज 64 दिन की न्यायिक कार्रवाई एक शर्मनाक स्थिति'

■ राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता ने राज्य सिविल अपीलेट अधिकरण की स्थाई पीठ के नाम पर पिछले एक साल में महज 64 दिन की न्यायिक कार्रवाई को एक शर्मनाक स्थिति बताया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता ने जोधपुर में राजस्थान राज्य सिविल अपीलेट अधिकरण की स्थाई पीठ के नाम पर पिछले एक साल में महज 64 दिन की न्यायिक कार्रवाई को एक शर्मनाक स्थिति बताया। उन्होंने महाधिवक्ता को इस बाबत राज्य सरकार और अधिकरण अध्यक्ष से दिशा निर्देश लेकर आगामी पेशी 28 अक्तूबर तक न्यायालय को अवगत कराने को कहा । उन्होंने कहा कि अधिकरण की स्थाई पीठ के नियमित क्रियान्वयन की संतुष्टि के बाद ही याचिका पर अंतिम बहस की सुनवाई की जाएगी।

राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित और अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि 19 जुलाई 2022 को खंडपीठ ने जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ अधिसूचित करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए और इसकी पालना में सरकार ने जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ की 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी कर दी और जोधपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर,उदयपुर, बीकानेर, पाली और बांसवाड़ा संभाग के सभी जिलों को शामिल करते हुए लंबित पत्रावलियों और नई अपीलों की सुनवाई जोधपुर में ही करने का आदेश जारी किया और इसी क्रम में गैर न्यायिक सदस्य तथा स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई लेकिन वास्तविक रूप से अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में क्रियान्वत नहीं हो पाई।

अधिवक्ता पुरोहित और अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि गत 29 जनवरी को भी खंडपीठ ने साफ किया कि अंतिम बहस के पहले जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ का वास्तविक रूप से क्रियान्वन करना होगा।

हाईकोर्ट के 4 सितंबर के आदेश की पालना में राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गत वर्ष सितम्बर से दिसंबर तक 25 दिन और इस साल जनवरी से अगस्त तक 39 दिन की न्यायिक कार्रवाई जोधपुर पीठ में हुई। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका चलने योग्य नहीं होने से इस पर अंतिम बहस ही सुनी जाएं।

राजस्थान हाइकोर्ट की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डा पी एस भाटी और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता ने कहा कि राजस्थान राज्य सिविल अपीलेट अधिकरण की स्थाई पीठ, जोधपुर के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद स्टाफ की नियुक्ति और संसाधन पूर्ण होने के बावजूद पिछले एक साल में महज 64 दिन की अल्पावधि की न्यायिक कार्रवाई होना बहुत ही शर्मनाक स्थिति है।

उन्होंने जनहित याचिका की अंतिम बहस प्रारंभ करने से पहले महाधिवक्ता को आदेश दिया कि जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ के वास्तविक क्रियान्वन बाबत राज्य सरकार और अधिकरण अध्यक्ष से दिशा निर्देश लेकर आगामी पेशी 28 अक्तूबर तक न्यायालय को अवगत कराएं।

उन्होंने कहा कि अधिकरण की जोधपुर में स्थाई पीठ के नियमित क्रियान्वयन की संतुष्टि के बाद ही याचिका पर अंतिम बहस की सुनवाई की जाएगी।

ओरण बचाने के लिए जारी रहेगा धरना : प्रतापपुरी

जैसलमेर, (नि.सं.)। अपनी भाजपा सरकार से ओरण को दर्ज करवाने के लिए जनाक्रोश रैली के बाद सभा में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महराज ने कहा कि ओरण दर्ज होने तक धरना जारी रहेगा।

शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने कहा कि राजनीति होती रहेगी, 100 बीघा जमीन है, कमा के खा-लूंगा। इससे पूर्व ओरण-गोचर बचाने को लेकर गड़ीसर से कलेक्ट्रेट तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। धरना स्थल पर पहुंचने के बाद जनसभा के रूप में तब्दील हो गई। मचं पर गुरु गोरखनाथ सहित कई साधु-संत, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, पूर्व महारावल चैतन्यराजसिंह, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, सुमेरसिंह भाटी सहित भाजपा के कई लोग मौजूद रहे। सभा के बाद प्रतिनिधिमंडल पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, गुरू गोरखनाथ, जिला प्रमुख प्रतापसिंह ने कलेक्टर प्रतापसिंह से मुलाकात की।

किराणे की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग, सामान राख

सायला, (निसं)। सायला उपखंड मुख्यालय के नया बस स्टेंड पर गुरुवार रात्रि को एक किराणे की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमे दुकान में रखा लाखों का सामान व नकदी जल गई।

जानकारी के अनुसार नया बस स्टेंड पर केशरसिंह पुत्र टीकमसिंह राठौड निवासी वालेरा की किराणे की दुकान है। जिसे रोजाना की तरह बन्द करके घर जाने की तैयारी में था। जो पास ही स्थित मेडिकल की दुकान से दवाई ले रहा था। उस दरम्यान दुकान से धुआं उठता दिखाई देने पर खोलकर देखा तो आगे की लपटे उठने लगी। जिसके बाद आसपास के नागरिकों व राहगीरों ने पास ही स्थित होटल से बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दुकान में रखे खाद्य तेल व घी आदि के कारण आग विकराल होने लगी।

वहीं कुछ ही देर में पानी के टैंकर मौके पर पहुंच गए। जिनकी सहायता से बडी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन आगजनी की घटना में दुकान में रखा लाखों का सामान व नकदी जल गई।

घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी सूरजभान विश्नोई, तहसीलदार व ईओ लक्ष्मी चौधरी, एएसआई राजाराम विश्नोई मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। वही आगजनी की घटना से मौके पर बडी संख्या में ग्रामीणों की भीड जमा हो गई। सायला में गुरुवार रात्रि को किराणे की दुकान में आगजनी की घटना के बाद प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सायला पहुंचने के पहले ही आग विकराल होने से दुकान का सामान जल गया था। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने टैंकरों से आग पर काबू पा लिया था।जिस पर ग्रामीणों ने काफी आ ोश जताते हुए शीघ्र ही उपखंड मुख्यालय पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था की मांग की है। अगर सायला में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती तो काफी हद तक नुकसान कम होता।

सायला उपखंड मुख्यालय पर आगजनी की घटना के समय काबू पाने के लिए लंबे समय से तत्कालीन सांसद व विधायक ने फायर ब्रिगेड की घोषणा कर वाहवाही तो खूब बटोरी लेकिन अभी तक धरातल पर घोषणा मूर्त रूप नहीं ले पाई है। जिसका खामियाजा आगजनी की घटना के समय ग्रामीणों को भुगतान पड रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उदासीनता से डेढ दशक से उपखंड मुख्यालय फायर ब्रिगेड की व्यवस्था से मोहताज है।

रैली एवं चिकित्सा शिविर आज

बाड़मेर, (नि.सं.)। 17 गार्डस की ओर से शनिवार को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बाड़मेर स्थित सैनिक विश्राम गृह में प्रात: 10 बजे ईएसएम रैली एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।

अज अदालत न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय जालोर

दिवानी विविध प्रकरण संख्या -24/2025(विधिक सरंक्षक) cis No 79/25

प्रार्थीगण - 1. हिमांशु सोनी पुत्र स्व.कन्हैयालाल. 2. रोणित कुमार पुत्र स्व.कन्हैयालाल उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये सरक्षक भाई हिंमाशु सोनी पुत्र स्व. कन्हैयालाल जातियान सोनी निवासीगण जे.डी.ए.कॉलोनी सरुपरा रोड जालोर तहसील व जिला जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण - हर आम व खास

प्रार्थना पत्र बाबत् विधिक सरक्षक घोषित करने अन्तर्गत धारा 8 गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890

जरिये इश्तहार न्यायालय हाजा हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण के पिता स्व. कन्हैयालाल का स्वर्गवास राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 23.08.2023 को हो चुका था तथा स्व. कन्हैयालाल की पत्नि दुगदिवी का स्वर्गवास दिनांक 19.11.2016 को हो गया था । कन्हैयालाल के पुत्र दोनो प्रार्थीगण है।मृतक कर्मचारी कन्हैयालाल की उपादान व पैशन राशि मासिक 10,250/- तथा ग्रेच्युटी राशि 3,59,160/- रु प्राप्त करने का अधिकारी नाबालिग रोणित कुमार ही है रोणित कुमार भाई हिंमाशु सोनी के साथ रहता है एवं उसका भरण पोषण शिक्षा आदि का खर्चा भी हिंमाशु सोनी ही उठाता है रोणित कुमार के पारिवारिक पेशन व उपादान राशि का भुगतान विधिक सरंक्षक के माध्यम से होगा जिस हेतु प्रार्थी रोणित कुमार के भाई हिंमाशु सोनी को विधिक सरक्षक घोषित किया जाकर विधिक सरक्षक प्रमाण पत्र जारी करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे पेश किया है अत: हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण को उक्त विधिक सरक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में यदि किसी को आपत्ति हो तो स्वयं / अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के दिनांक 14.10.2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश कर अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर आदेश पारित कर दिया जावें । यह नोटिस मेरे द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर जारी किया गया ।

मोहर

वरिष्ठ मुंसरिम
पारिवारिक न्यायालय,जालोर (राज.)

आम सूचना

श्रीमती सुशीला देवी पत्नि कुशलराज राव, नि - भैसवाडा का एक आवासीय भुखण्ड ग्राम माधोपुरा भैसवाडा के मुख्य आबादी में 1000 वर्गफीट का आया हुआ है, जिसे राजेन्द्र कुमार व हिमता राम से सुशीला देवी ने खरीदकर बेचाननामें का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय आहोर में दिनांक 21.04.2014 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 125 पृष्ठ संख्या 194 क्रम संख्या 2014000836 पर पंजीबद्ध किया गया तथा राजेन्द्र कुमार व हिमता राम ने उक्त भुखण्ड श्रीमती राधा देवी से दिनांक 04.05.2011 को खरीद किया था एवं राधा देवी ने उक्त भुखण्ड रमेश कुमार राव पुत्र ताराजी राव निवासी माधोपुरा से दिनांक 06.10.2008 को खरीद कर बेचाननामें का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय आहोर में करवाया था एवं रमेश कुमार राव के पक्ष में उपरोक्त भुखण्ड का पट्टा संख्या 127 मिशल संख्या 127/2003-04 दिनांक 30.08.2003 को ग्राम पंचायत भैसवाडा जरिये संकल्प संख्या 03 के अनुसरण में जारी किया गया । उपरोक्त दस्तावेजो में से पट्टा संख्या 127 दिनांक 30.08.2003 एवं दिनांक 06.10.2008 को रमेश कुमार राव द्वारा राधा देवी को बेचान किये गये दस्तावेज कही गुम हो गये है जिसकी गुमसुदगी रिपोर्ट पुलिस विभाग में दिनांक 26.09.2025 को क्रम संख्या 291052 0/26.09.2025 पर दर्ज करवाई गई जो श्रीमती सुशीला देवी द्वारा आज दिनांक तक ढुढने पर नही मिली है । इस प्रकार उपरोक्त भुखण्ड पर वर्तमान में श्रीमती सुशीला देवी का सार्वभौमिक कब्जा, उपयोग एवं उपभोग होने के कारण ऐक्सिस फायनेंस लिमिटेड शाखा जालोर द्वारा ऋण लिया जाना प्रस्तावित हैं । इसलिये उक्त आम सुचना के जरिये सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को उक्त खोए गए दस्तावेज मिले हो तो अध्योहस्ताक्षरकर्ता को सम्पर्क कर लौटाने का श्रम करावें तथा यदि किसी को कोई आपति हो तो तीन दिन के भीतर अध्योहस्तक्षरकर्ता को दर्ज करावें । बाद म्याद गुजरने कोई आपति स्वीकार्य नही होगी । **इति दिनांक - 26.09.2025**

अभिनव सुथार अधिवक्ता
R/1443/2005
वर्धमान कॉलोनी , आहोर, तहसील आहोर , जिला जालोर (राज.)
मो.न.9799152119

ऑटो में सवार बुजुर्ग के गले से सोने की चेन पार

जोधपुर, (कासं)। शहर में ऑटो सवार बुजुर्गों के कीमती आभूषण चोरी होने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अब तक आधा दर्जन केस आ चुके है, मगर पुलिस इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। हर बार वृद्ध महिलाओं को टारगेट के आभूषण पार किए जाते रहे है, मगर इस बार एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपना शिकार बनाया गया है।

सरदारपुरा थाने में इस बाबत केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से ऑटो और चालक की पहचान के प्रयास में जुटी है।

सरदारपुरा पुलिस के अनुसार 8वीं ई रोड सरदारपुरा निवासी रूपकिशोर राठी ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि वे 25 सितम्बर की दोपहर बस से पाली से जोधपुर आए थे और मथुरादास माथुर अस्पताल रोड पर उतर कर पैदल नेहरू पार्क की ओर जा रहे थे। इस दौरान एमडीएम अस्पताल की तरफ से आ रही एक सवार टैक्सी चालक ने उन्हें बैठने के लिए जोर दिया। ऑटो में पहले से तीन युवक और एक महिला सवार थे।

ऑटो चालक व सवारियों के कहने पर वे उसमें बैठ गए और अपने घर (सेंट मेथोडिस्ट चर्च, नेहरू पार्क रोड) के पास उतर गए। घर पहुँचकर भोजन कर वे सो गए। जब नींद से उठे तो पाया कि उनके गले में पहनी हुई सोने की चेन गायब है। रिपोर्ट के अनुसार चेन दो तोला वजन की थी। जिसमें मोती और चांदी का पेंडेंट लगा हुआ था। संदेह है कि ऑटो में सवार लोगों ने यह कारस्तानी की है।

बता दें कि इससे पहले देवनगर, प्रतापनगर, सूरसागर, उदयमंदिर थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। जिसमें पहले से सवार महिलाएं और युवक बुजुर्गों के गले से आभूषण और बैग से सामान पार कर लेते है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लेकर सुगम्य बाड़मेर अभियान

बाड़मेर, (नि.सं.)। सरहदी बाड़मेर जिले में सुगम्य बाड़मेर अभियान आर्थिक सशक्तिकरण के साथ दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की सराहनीय पहल साबित हो रहा है। बाड़मेर जिला प्रशासन का यह अभियान दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत बाड़मेर जिला कलक्टर टीना डाबी ने दो सप्ताह पूर्व सुगम्य बाड़मेर अभियान की शुरूआत की थी।

बाड़मेर जिले में सुगम्य बाड़मेर अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिव्यांगजन शिविर आयोजित करने के साथ उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण करके राहत पहुंचाई जा रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 12 सितंबर को सुगम्य बाड़मेर अभियान की शुरूआत की गई थी। इसके उपरांत शिव एवं चौहटन पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों के दौरान बड़े पैमाने पर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करते हुए राहत पहुंचाई गई। इन शिविरों के माध्यम से सैकड़ों लोगों को यूडीआईडी कार्ड के लिए स्क्रीनिंग करने के साथ सहायक उपकरण के चिन्हित किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित पेंशन योजनाओं से लाभांवित करवाने के साथ रोडवेज के पास बनाए गए।

इन शिविरों में दिव्यांगजनों ने उत्साह दिखाते हुए सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के साथ राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की अभिनव पहल की सराहना की। जिला कलक्टर टीना डाबी के मुताबिक विभागीय अधिकारियों को पूर्ण समर्पण एवं गंभीरता से अभियान संबंधित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। ताकि बाड़मेर जिले के प्रत्येक दिव्यांगजन तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त समाज का हिस्सा बन सके। इस अभियान की सफल क्रियान्विति के बाड़मेर उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर को नोडल अधिकारी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेन्द्र प्रतापसिंह भाटी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। बहरहाल, सुगम्य बाड़मेर अभियान न केवल एक सरकारी पहल है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है जो बाड़मेर के दिव्यांगजनों को नई दिशा और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर रही है। यह अभियान न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि समाज में समावेशिता और समानता के मूल्यों को भी स्थापित कर रहा है। जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से यह अभियान मिसाल साबित हो रहा है। आने वाले वर्षों में, सुगम्य बाड़मेर अभियान और अधिक दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

1007 दिव्यांगों का पंजीयन

सुगम्य बाड़मेर अभियान के तहत बाड़मेर, शिव एवं चौहटन पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित शिविरों के दौरान 1007 दिव्यांगजनों ने पंजीकरण कराया। इसमें से 767 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्य के लिए स्क्रीनिंग की गई तथा 278 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए। दिव्यांगों के 26 नवीन पेंशन आवेदन स्वीकृत किए गए तथा इसी 16 नए दिव्यांग पालनहार योजना के आवेदन स्वीकृत करने के साथ 484 लंबित दिव्यांग पालनहार आवेदनों का सत्यापन किया गया। इसके अलावा 242 दिव्यांगों का सहायक उपकरण के लिए चयन करने के साथ 35 रोडवेज पास बनाए गए।

जी.एस.टी. बचत महोत्सव के लिए वाहन रैली

बाड़मेर,(नि.सं.)। जिला कलैक्टर टीना डाबी ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट बाड़मेर से जी.एस.टी. बचत महोत्सव के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह रैली कलेक्ट्रेट से स्टेशन रोड होते हुऐ कई बाजारों से होती हुई गांधी चौक पहुंची। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा की इस प्रचार वाहन रैली के माध्यम से संशोधित जीएसटी दरों के बारे मे आमजन को जागरूक किया जाएगा, ताकि कम हुई जीएसटी दरों का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने आवाहन किया कि आमजन जीएसटी बचत महोत्सव का अधिक से अधिक लाभ ले। वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉ. बिहारी लाल दर्जी एवं भवानीसिंह ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स से किस प्रकार उपभोक्ताओं को फायदा हुआ, इस पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समाजसेवी अनंतराम विश्नोई, लूणकरण बोथरा, धनराज सोनी उपस्थित थे।

फायर ब्रिगेड समेत मांगें बताई

सायला, (निसं)। राष्ट्रीय व्यापार संगठन कैट एवं व्यापार संघ सायला के तत्वावधान में शुक्रवार को उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर व्यापारियों द्वारा उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया कि नगर के नया बस स्टेण्ड पर गुरुवार रात्रि को एक किराणा की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की कमी के कारण आग पर समय रहते काबू नही पाया जा सका और दुकान में रखा लाखो का किराणा का सामान जल गया। जबकि सायला नगरपालिका क्षेत्र है। इसके बावजूद आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नही है। जिस पर व्यापारियों ने सायला में स्थाई तौर पर एक फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाने की मांग की है। स्थाई फायर ब्रिगेड के अभाव में अस्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही बताया कि दुकान में आगजनी जैसी घटनाएं होने पर व्यापारियों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नही मिलता है। ऐसे में किसानों को फसल खराबे पर मिलने वाले मुआवजे की तर्ज पर व्यापारियों को भी आगजनी के लिए मुआवजा दिलवाने की मांग की। इसी प्रकार आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हए नगर के गली मौहल्लों एवं मुख्य सडक पर रोड लाइटें शुरू करवाने, नगर में बदहाल साफ सफाई व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध करने तथा दुकानों के कचरा निस्तारण के लिए प्रतिदिन कचरा संग्रहण ट्रेक्टर चलाने, नगर में बार बार ट्रेफिक जाम की समस्या से निजात हेतु स्थाई पार्किंग जोन निर्धारित करने, नगर में विधुत कटौती से पूर्व सूचना जारी करवाने एवं अघोषित विधुत कटौती बंद करवाने, नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, भीडभाड वाले स्थानों व तंग गलियों में पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी नही करने, मुख्य सडक किनारे किए गए अति मण को हटाने तथा बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में डालने अथवा शेल्टर होम बनाकर रखने की मांग की। मांगो पर सकारात्मक कार्रवाई नही होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इससे पूर्व राष्टीय व्यापार संघ कैट एवं व्यापार मंडल सायला के तत्वावधान में शुक्रवार को व्यापारियों व नगरवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गणपति मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ। नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी, राष्ट्रीय व्यापार संघ कैट ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल राजपुरोहित, पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित, राहुल भण्डारी, ताराराम चौधरी, नागेश जैन, दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, रेवाराम घांची, चमन माहेश्वरी, रमेश आचार्य, रूपकिशोर अग्रवाल, मुकुंद दवे, भूराराम चौधरी, बाबूलाल जैन, हरिचन्द्र राजपुरोहित, नारायण माहेश्वरी, चिंटू अग्रवाल, मदन जैन, उत्तमसिंह राजपुरोहित, मालाराम देवासी, परमेश्वर आचार्य, सुरेंद्रसिंह रावणा, भेराराम घांची, सवाराम माली, मोतीसिंह राजपुरोहित, मदन चौधरी, नरपत घांची, मेहबूब खान जूनियर, जाकिर खान समेत कई व्यापारी मौजूद थे।

लेक्चर स्टैंड पोडियम दिए

जालोर, (कासं)। आईडीबीआई बैंक जालोर की ओर से जालोर ब्लॉक के 38 राजकीय विद्यालयों के लिए लेक्चर स्टैंड पोडियम भेंट किए गए।

अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉ. रमेश खोरवाल ने बताया कि आईडीबीआईं बैंक प्रबंधक मनोज कुमार व सहायक प्रबंधक अरूण जैन द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सीएसआर एनिट्रेटिव फंड के माध्यम से उपयोगी सामग्री देने के आग्रह किया गया था।

Jalore Nagrik Sahakari Bank Ltd.
Head Office : Near Haridav Joshi Circle , Jalore (Rajasthan)
Email: headoffice@jalorebank.com / Bank Website - www.jalorebank.com Phone No. 9413854111

क्रमांक/जानासबैंकलि/8818 दिनांक :26.09.2025

निविदा सूचना

जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक को वर्ष 2026 के लिए कैलेण्डर एवं डायरियां मुद्रण हेतु पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) से निविदांए आंमत्रित की जाती है । अत : इच्छूक पंजीकृत एव प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) अपनी निविदा दरें सील बन्द लिफाफे में दिनांक 15.10.2025 को सांय 4 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय स्थित मुख्यकार्यकारी अधिकारी के कक्ष मे रखें गये टेण्डर बॉक्स में डालना सुनिश्चित करें । विस्तृत विवरण , शर्तें, मात्रा इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी बैंक की वेबसाईट www.jalorebank .com पर उपलब्ध है ।

परमानन्द भट्ट
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मालाणी महोत्सव आज से

बाड़मेर,(नि.सं.)। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर तथा जिला प्रशासन, बाड़मेर की ओर से 27 एवं 28 सितंबर को मालाणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव शरद व्यास ने बताया कि मालाणी महोत्सव का मुख्य आयोजन बाड़मेर के प्रसिद्ध किराडू मंदिर प्रांगण में होगा, जहाँ पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बाड़मेर के इतिहास, कला और संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, रंगारंग प्रस्तुतियाँ तथा राजस्थान के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे।

Jalore Nagrik Sahakari Bank Ltd.
Head Office : Near Haridav Joshi Circle , Jalore (Rajasthan)
Email: headoffice@jalorebank.com / Bank Website :- www.jalorebank .com Phone No. 9413854111

क्रमांक/जानासबैंकलि/8828 दिनांक :26.09.2025

निविदा सूचना

जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को अपनी विभिन्न शाखाओं के लिए वर्ष 2025-26 हेतु Standard make इलेक्ट्रीक एप्लाईसेन्स, सिक्युरिटी सिस्टम एवं एटीएम / रिसाईकलर मशीन इत्यादि खरीद हेतु पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) से निविदाएँ आंमत्रित की जाती है । अत: इच्छुक पंजीकृत एवं अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) अपनी निविदा (Technical & Financial Bid) के अलग - अलग सील बन्द लिफाफे में दिनांक 15.10.25 सांय 4 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय में रखे गये टेण्डर बॉक्स में डालना सुनिश्चित करें । बैंक की अधिकृत कमेटी आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभिन्न पहलुओं के आंकलन के आधार पर निविदा को अस्वीकृत / अंतिम रुप से बाध्यकारी होगा । विस्तृत विवरण, शर्तें, मात्रा इत्यादि की सम्पूर्ण बैंक की वेबसाईट www.jalorebank .com पर उपलब्ध है ।

परमानन्द भट्ट
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गेलावास में सेवा शिविर

पाली, (नि.सं.)। ग्राम पंचायत मुख्यालय गेलावास के शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 470 किसानों को गिरदावरी एप की जानकारी देकर 203 किसानों से एप डाउनलोड करवाया एवं आपसी सहमति से बटवाड़ा के 2 प्रकरणों, 11 फॉर्मर रजिस्ट्री कार्ड के प्रकरणों, मूल निवास प्रमाण पत्र के 32 एवं जाति प्रमाण पत्र के 27 आवेदनों का निस्तारण किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 02 पेंशन सत्यापन एवं 03 आवेदन पालनहार योजना में प्राप्त किए। चिकित्सा विभाग द्वारा 451 टीबी स्कैनिंग, 391 एनसीडी स्क्रीनिंग की गई। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई/त्रुटिपूर्ण मीटर संबंधी 05 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 200 पशुओं का टीकाकरण किया गया। रसद विभाग द्वारा 77 यूनिट्स की ई केवाईसी एवं 21 यूनिट्स की आधार सीडिंग की गई।

दिवान्दी के शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 400 किसानों को गिरदावरी की जानकारी देकर 187 किसानों से एप डाउनलोड करवाया एवं 1 सहमति से बंटवाडा के प्रकरणों, 05 फॉर्मर रजिस्ट्री कार्ड के प्रकरणों, मूल प्रमाण पत्र के 17 एवं जाति प्रमाण पत्र के 22 आवेदनों, भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा (136) के कुल 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 13 पेंशन सत्यापन एवं 01 आवेदन पालनहार योजना में प्राप्त किए। चिकित्सा विभाग द्वारा 466 टीबी स्कैनिंग, 419 एनसीडी स्क्रीनिंग की गई। विद्युत विभाग द्वारा 05 त्रुटिपूर्ण मीटर/विद्युत सप्लाई संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 225 पशुओं का टीकाकरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा कुल 13 लाभन्वित कृषकों को मिनी किट वितरण किया गया। रसद विभाग द्वारा 259 यूनिट्स की ई केवाईसी एवं 80 यूनिट्स की आधार सीडिंग की गई।

तहसीलदार विकास अधिकारी मनमोहन मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पं.स. रोहट, सहायक विकास अधिकारी, पं.स. रोहट, सहायक अभियंता, विद्युत विभाग एवं अन्य समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व आमजन मौजूद रहे।

उत्तर पश्चिम रेलवे — ई-ऑक्शन आमंत्रित करने की सूचना

निविदा सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	आरक्षित मूल्य 06 माह के लिए	बयाना राशि
17	गाडी सं 14821/14822 में ट्रेन साइड वेंडिंग हेतु	Rs. 6,79,770/-	Rs. 34,000/-
18	गाडी सं 14823/14824 में ट्रेन साइड वेंडिंग हेतु	Rs. 11,87,550/-	Rs. 59,400/-
19	गाडी सं 14891/14892 में ट्रेन साइड वेंडिंग हेतु	Rs. 11,87,550/-	Rs. 59,400/
20	गाडी सं 14893/14894 में ट्रेन साइड वेंडिंग हेतु	Rs. 8,47,665/-	Rs. 42,400/
21	गाडी सं 22483/22484 में ट्रेन साइड वेंडिंग हेतु	Rs. 2,90,160/-	Rs. 14,600/

1	निविदा फॉर्म खरीदने की अंतिम तिथि एवं समय:	दिनांक 30.09.2025 को 11.00 बजे तक।
2	निविदा फॉर्म स्वीकार की अंतिम तिथि एवं समय:	दिनांक 30.09.2025 को 11.00 बजे तक।
3	निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय:	दिनांक 30.09.2025 को 11.00 बजे तक।
4	वेबसाइट जहाँ से निविदा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है:	www.ireps.gov.in

1232-AN/25

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

WORLD TOURISM DAY 2025
TOURISM AND SUSTAINABLE TRANSFORMATION
27th सितंबर, 2025
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
राजस्थान
जहां के आसमान से बरसता है आनंद
हवा महल
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: www.tourism.rajasthan.gov